और यह देखेंगे कि क्या वहां कोई उपयुक्त स्थान उपलब्ध है या नहीं। सरकार आवस समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही हैं।

कृषि उपज के लिये मंडियां

2204. **श्री दलीप सिंह भूरिया :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उपज के लिए मंडियों की संख्या पर्याप्त होने के कारण किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है ;

(ख) क्या भारत सरकार का उक्त मंडियों के प्रसार के लिये कोई योजना तैयार करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई) : (क) कृषि उपज के लिए मंडियों की स्थापना करना विभिन्न उपायों में से एक उपाय है ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य मिल सके। राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार 31-3-83 तक 5430 नियमित मंडियों की स्थापना की गई थी।

(ख) और (ग) कृषि विपणन राज्य का विषय है अधिकांश राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों ने कृषि मंडियों को नियमित करने के लिए कानून बनाए हैं। तथापि, चुनी हुई नियमित ग्रामीण मंडियों के विकास की वर्तमान योजना के अंतर्गत भारत सरकार कृषि मंडियों की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए निम्नलिखित दरों पर केन्द्रीय सहायता भी देती हैं :...

(1) वाणिज्यिक फसलों (जूट, कपास, मूंगफली, काजू, नारियल तम्बाकू, आलू, प्याज, मिर्च तथा पान के पत्ते) का व्यापार करने वाली नियमित मंडियां ..... 4 लाख रुपये प्रति मंडी।

(2) कमान क्षेत्रों में स्थिति नियमित मंडियां — 5 लाख रुपये प्रति मंडी।

(3) फलों तथा सब्जियों के लिए टर्मिनल मंडियां —15 लाख रुपये प्रति मंडी।

(4) प्राथमिक ग्रामीण मंडियां — 15 लाख रुपये प्रति मंडी।

(5) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, समन्वित आदिवासी विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए पिछड़े क्षेत्रों में थोक मंडिया — 5 लाख रुपये प्रति मंडी।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को धनराशि का आवंटन

2205. **श्री दलीप सिंह भूरिया :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश ने उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई) (क) विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को समवन्ति ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान केन्द्रीय अंश के रूप में 581.43 करोड़ रुपये की धन राशि बंटित की गई है।

(ख) और (ग) इस अवधि के दौरान केन्द्रीय अंश के रूप में 58.25 करोड़ रुपये की धनराशि के बंटन के मुकाबले मध्य प्रदेश में राज्य के अंश सहित 111.79 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गयी थी, जो कि राज्य अंश सहित इतनी ही धन राशि के सैद्धान्तिक आबंटन का 96 प्रतिशत बनता है इसमें हुई कमी नगण्य है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजना के दौरान प्रमुख सम्पर्क सड़कों से जोड़े गये गांव

2206. श्री बलीप सिंह भूरिया : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना की अवधि के दौरान "न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" के अन्तर्गत 1500 व्यक्तियों की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव को प्रमुख सम्पर्क सड़कों से जोड़ा गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस अवधि के दौरान प्रमुख सड़को से जोड़े गये गांवो की संख्या क्या है तथा कितने गाँवों को अभी प्रमुख सड़की से जोड़ा जाना बाकी है ;

(ग) क्या उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में सम्पर्क सड़कों का चयन योजना आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई) : (क) जी नहीं ?

(ख) योजना आयोग के अनुसार, छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 48613 गांवों को सड़कों से जोड़े जाने की आशा है जबकि सातवीं योजना अवधि के दौरान 20787 और गांव सड़कों से जोडे जाने के लिए शेष रह जाएंगे।

(ग) व (घ) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति वाले इलाकों में सम्पर्क सड़कों के चयन के लिए योजना आयोग ने कोई विशेष सिफारिशे नहीं की हैं। छठी योजना प्रलेख में दिए गये